

राजस्थान-सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ4(ई)(1) {6} /अलेसे-III/

दिनांक 23.11.2011

कार्यालय आदेश

पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), जयपुर के पत्र क्रमांक 10641 दिनांक 13.10.2011 के द्वारा जयपुर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू किये जाने के कारण कार्यालय के नाम में परिवर्तन किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	पूर्व कार्यालय	परिवर्तन पश्चात् कार्यालय का नाम
1	महानिरीक्षक, पुलिस रेंज प्रथम, जयपुर	पुलिस आयुक्त, जयपुर
2	पुलिस अधीक्षक, (मुख्यालय), जयपुर शहर, जयपुर	पुलिस आयुक्त, जयपुर

अतः विभागीय आदेश संख्या 122/11-12 दिनांक 20.09.2011 के कॉलम संख्या 4 में अंकित कार्यालय " महानिरीक्षक, पुलिस रेंज प्रथम, जयपुर " के बजाय कार्यालय " पुलिस आयुक्त, जयपुर " पढ़ा जावे ।

निदेशक

क्रमांक:-एफ4(ई)(1) {6} /अलेसे-III/ 9019 - 9022

दिनांक:- 23.11.2011

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. पुलिस आयुक्त, जयपुर
2. पुलिस उपायुक्त, (मुख्यालय), जयपुर
3. कोषाधिकारी, (शहर), जयपुर
4. निजी सहायक, निदेशक, कोष एवं लेखा
5. श्री इन्द्रलाल सांखला, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय पुलिस आयुक्त, जयपुर

रजि० - ५६.

श्री इन्द्रलाल सांखला, कनिष्ठ लेखाकार पुत्र श्री फाकलाल पता - बेरा हेमजी का रेतिया, जैतारिण्या गेट के बाहर, सोजत (पाली) को भेज कर निर्देश दिये जाते हैं कि आपको इस निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 8617-18 दिनांक 25.10.2011 एवं 8801 दिनांक 09.09.2001 के द्वारा महानिरीक्षक पुलिस रेंज, प्रथम, जयपुर के कार्यालय का नाम परिवर्तन कर पुलिस आयुक्त, जयपुर होने की जानकारी से अवगत कराया जाकर इस विभाग के आदेश संख्या 122/11-12 दिनांक 20.09.2011 की अनुपालना में अविलम्ब अपने नवपदस्थापित कार्यालय पुलिस आयुक्त, जयपुर में कार्यग्रहण कर सूचित करने हेतु लिखा गया था किन्तु कार्यग्रहण सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । अतः यदि कार्यग्रहण नहीं किया हो तो पुनः निर्देशित किया जाता है कि पुलिस आयुक्त, जयपुर में कार्यग्रहण कर इस विभाग में कार्यग्रहण रिपोर्ट भेजे ।

7. निजी पत्रावली/रक्षित पंजिका

संयुक्त निदेशक {कार्मिक-III}

8. कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)